न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 शिविर स्थल—भीमगोड़ा

राजस्व आवेदन संख्या :—18 / 2025

प्रार्थीः—

छोगाराम उर्फ नारायणराम पुत्र मदाराम उर्फ मादाराम जाति भील निवासी भीमागोड़ा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः—

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—श्री जयप्रकाश रामदेव
प्रार्थी वकील

—:: आदेश ::— दिनांक :—25.09.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत पेश किया है। संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 49, 563, 564, 568, 569 व 570 कुल रकबा 13.7563 हैक्टेयर ग्राम भीमगोड़ा तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा हैं। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात—यथा आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, विद्युत बिल, बैंक डायरी में उसका वास्तविक नाम नारायणराम पुत्र मादाराम ही अंकित है, किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम नारायणराम पुत्र मादाराम के स्थान पर छोगाराम पुत्र मदाराम लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र [illegible]अ./2025/1060 दिनांक 06.06.2025 द्वारा प्रार्थी के [illegible] में [illegible]त्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, विद्युत बिल, बैंक डायरी [illegible] प्रस्तुत किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:42:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि उसका वास्तविक नाम नारायणराम पुत्र मादाराम है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का त्रुटिवश नाम

छोगाराम पुत्र मदाराम लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, विद्युत बिल, बैंक डायरी आदि दस्तावेजात में उनका नाम नारायणराम पुत्र मादाराम दर्ज है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम नारायणराम पुत्र मादाराम होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भीमगोड़ा तहसील सिवाना की खसरा संख्या 49, 563, 564, 568, 569 व 570 कुल रकबा 13.7563 भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम 'छोगाराम पुत्र मदाराम' के स्थान पर 'नारायणराम उर्फ छोगाराम पुत्र मादाराम' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 25.09.2025 को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 शिविर स्थल भीमगोड़ा में सरे आम सुनाया गया ।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:42:11 IST
Reason: SelfAttested